रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223813
CG-DL-E-19122020-223813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] **नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/ अग्रहायण 27, 1942**
No. 553] **NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

फा. सं.स्टैंडर्ड्स/एसपी(जल और पेय)/अधिसूचना (1)/एफ.एस.एस.ए.आई-2019.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय) संशोधन विनियम, 2019 का प्रारूपभारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी(जल और पेय)/अधिसूचना (1)/एफ.एस.एस.ए.आई-2019, तारीख 5 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 15 जुलाई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई 2021 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 के,-

(1) भाग 1 के,-

(i) विनियम 1.2.3 में, "कृषि मूल का होगा" शब्दों के पश्चात निम्निलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"परन्तु यह कि अल्कोहल मुक्त बीयर के मामले में यह सीमा शून्य होगी।"

(ii) विनियम 1.3 में,-

(क) उप-विनियम 1.3.2 की जगह निम्निलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"इथाइल एल्कोहल अंश की सह्यता सीमा घोषित सामर्थ्य के 20 प्रतिशत तक के लिए ±0.3 प्रतिशत (90 मि.ली. तक की बोतल के लिए -0.5 प्रति शत), और 20 प्रतिशत और उससे अधिक के लिए ±1.0 प्रति शत (90 मि.ली. तक की बोतल के लिए -1.5 प्रति शत)" हो। वाइन की दशा में सह्यता सीमा ±0.5 होगी।";

(ख) उप-विनियम 1.3.9 में "ऐसे एल्कोहलिक पेय जिनमें 8.0 प्रति शत से कम अल्कोहल की मात्रा है को निम्न एल्कोहलिक पेय कहा जाएगा तथा यह सारणी-1 में दिए गए मानकों को वाष्पीकरण पर अवशेष के अलावा पूरा करेगा।" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"8.0 प्रति शत से अनधिक एल्कोहल वाले एल्कोहलीय पेय अल्प एल्कोहलीय बीवरेज कहे जा सकते हैं। वाइन और बीअर को छोड़कर अल्प एल्कोहलीय बीवरेज सारणी-4 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।"

(2) भाग 2 में,-

(i) विनियम 2.1 के,-

(क) खंड 2.1.1 के पैरा '1' में "किण्वन के दौरान मौजूद" शब्दों में "किण्वन" शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्-

"और काल-प्रभावन"

(ख) खंड 2.1.1 के पैरा '2' में "ब्रांडी" शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ, अर्थात्-

"(उदाहरण एपल ब्रांडी, प्लम ब्रांडी)"

(ग) उप-विनियम 2.1.2 के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाए, अर्थात्-

"2.1.3 इंडियन ब्रांडी: इंडियन ब्रांडी उदासीन स्प्रिट अथवा परिशोधित स्प्रिट अथवा दोनों के मिश्रण से बनाई जाएगी। लेबल पर 'इंडियन ब्रांडी' नाम के बाद ब्रेकिट में आसानी से पढ़े जा सकने वाले फोंट में 'शीरा स्प्रिट/ग्रेन स्प्रिट/उदासीन स्प्रिट से बनी' कथन हो। 'इंडियन' और 'ब्रांडी' शब्दों का फोंट साइज एक समान हो।"

(ii) विनियम 2.8 के उप-विनियम 2.8.1 के खंड (i) की जगह निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(i) सिंगल माल्ट अथवा सिंगल ग्रेन व्हिस्की : सिंगल माल्ट अथवा सिंगल ग्रेन व्हिस्की उस किण्वित मिश्रण से प्राप्त आसुत होती है जिसमें क्रमश: जौ मिले बाजरे अथवा जौ मिले एक धान्य का उपयोग होता है, जिसे पोर्ट स्टिलमें आसुत किया जाता है और एक ही डिस्टलरी में बनाया जाता है।"

(3) भाग-3 में,-

(i) विनियम 3.1 के,-

(क) उप-विनियम 3.1.1 में "टेबल या अंगूर वाइन निम्न प्रकार की हो सकती है" शब्दों की जगह निम्नलिखित शब्द रखे जाएँगे, अर्थात्,-

"टेबल वाइन निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है।"

(ख) उप-विनियम 3.1.1 के खंड 3.1.1.2 की मद (i) की जगह निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात्,-

"(i) ड्राइ वाइन: ड्राइ वाइन वह वाइन होती है जिसमें 0.9 प्रति शत तक शर्करा होती है।"

(ग) उप-विनियम 3.1.2 के खंड 3.1.2.2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्,-

"3.1.2.2 स्पार्कलिंग: स्पार्कलिंग वाइन में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश न्यूनतम 7.0 ग्रा/ली. अथवा 20°C पर 3.5 बार दाब होता है, जो बंद धारक, टैंक अथवा बोतल में केवल वाइन के प्राथमिक अथवा गौण किण्वन से होता है। शर्करा अंश के आधार पर स्पार्कलिंग वाइनें निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं:

(i) ब्रुट : इसमें शर्करा अंश 1.2 प्रति शत से कम होता है।

(ii) एक्स्ट्रा ड्राई : इसमें 0.3 प्रति शत की सह्यता के साथ 1.2 प्रति शत से अधिक और 1.7 प्रतिशत तक शर्करा होती है।

(iii) ड्राई : इसमें 0.3 प्रति शत की सह्यता के साथ 1.7 प्रति शत से अधिक और 3.2 प्रतिशत तक शर्करा होती है।

(iv) सेमी-ड्राई : इसमें 3.2 प्रति शत से अधिक और 5.0 प्रतिशत तक शर्करा होती है।

(v) स्वीट : इसमें 5.0 प्रति शत से अधिक शर्करा होती है।";

(घ) उप-विनियम 3.1.3 की जगह निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-

"3.1.3 फोर्टीफाइड वाइन: फोर्टीफाइड वाइन उच्च एल्कोहल अंश वाली वाइन होती है, जिसे एल्कोहल (ब्रांडी अथवा वाइन स्प्रिट अथवा कृषि मूल की उदासीन स्प्रिट) डालकर तैयार किया जाता है, परन्तु यह कि वह न्यूनतम 7.0 प्रति अंगूर, द्राक्षासव और फलों के रस के किण्वन से बनाई गई हो, और उसे क्षुधावर्धक पेय अथवा डेजर्ट वाइन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फोर्टीफाइड वाइन लाल अथवा सफेद, ड्राई अथवा मीठी हो सकती है।

फोर्टीफाइड वाइनें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:

3.1.3.1 शेरी : शेरी आम तौर पर सफेद वाइन होती है, जिसे ड्राइनेस तक किण्वित किया जाता है और फिर उसे वायु के संपर्क से पकाई के दौरान स्थिर करने के लिए उसमें एल्कोहल (ब्रांडी अथवा वाइन स्प्रिट) मिलाई जाती है।

3.1.3.2 सुगंधित वाइन,कम से कम 75% वाइनकीमात्रा से प्राप्त एक पेय है, जो एक सुगंधित प्रक्रिया से गुज़री है; जिसमें एथिल अल्कोहल ऑफ़ विटीकल्चरल मूल और / या वाइन डिस्टिलेट और / या कृषि मूल की अल्कोहल को जोड़ा जा सकता है; जो इस पेय पर लागू होने वाली मिठास और / या रंग और / या एक या अधिक विशिष्ट ऑन्कोलॉजिकल प्रथाओं से गुजर सकता है; 14.5% न्यूनतम और 22% के बीच भिन्नता द्वारा एक वास्तविक अल्कोहल ताकत के साथ।"

(ङ) उप-विनियम 3.1.4 में "अंगूरों के अलावा अन्य फलों से तैयार वाइन" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"(इससे पहले फल का नाम रखा जाए। उदाहरण, प्लम वाइन, एप्रिकॉट वाइन, पिअर वाइन)"

(च) उप-विनियम 3.1.4 में मद 3.1.4.3 को लोप कर दिया जाएगा।

(छ) उप-विनियम 3.1.5 में खंड 3.1.5.1 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,-

"3.1.5.1 पॉम वाइन/टोडी: पॉम वाइन/टोडी पॉम वृक्ष और कोकोनट पॉम के रस से तैयार वाइन होती है।"

(ज) उप-विनियम 3.1.5 के पश्चात, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

" 3.1.6 वाइन-आधारित पेय: वाइन-आधारित पेय वाइन की मात्रा से कम से कम 50 से प्राप्त एक पेय है, जो कि मीठा बनाने, रंग भरने, सुगंधित पदार्थों को जोड़ने या तैयार करने, खाद्य संबंधित उत्पादों के जोड़ने, पानी सहितजैसे उपचारों से गुजर सकता है, जिसके लिए वास्तविक अल्कोहलमात्रा आयतनद्वारा शक्ति 3.5 आयतन के बराबर या 14.5 आयतनसे नीचे; और जिसके लिए अल्कोहल घटक विशेष रूप से

वाइन याइस्तेमाल की जाने वाली विशेष वाइन से प्राप्त होता है, केवल सुगंधित पदार्थों, या रंजकया किसी अन्य अनुमोदित पदार्थ को पतला करने के लिए उपयोग की जाने वाली खुराक को छोड़कर। ";

(ii) विनियम 3.2 में खंड (iii) के स्तान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,-

"(iii) वाइन तैयार करने के लिए मिलाया गया पानी प्रति किग्रा अंगूर अथवा फल में 70 मि.ली. से अधिक न हो, जो:

(क) कोई सहयोज्य पदार्थ अथवा प्रसंस्करण सहायक सामग्री मिलने के लिए आवश्यक हो,

(ख) किण्वन के लिए आवश्यक हो; अथवा

(ग) वाइन बनाने की प्रक्रिया का अंग हो।

परन्तु यह कि पानी को किण्वन की सुविधा के लिए वाइन में जोड़ा जा सकता है यदि पानी उच्च शर्करा अंगूर को किण्वन से पहले पतला करने के लिए जोड़ा जाता है और मस्ट को 13.5 डिग्री ब्रिक्स से नीचे पतला नहीं करना चाहिए।"

(4) भाग-4 के,-

(क) बियर से सम्वंधित विनियम 4.1 में, पैरा 2 में, खंड (ii) के पश्चात निम्न को रखा जायेगा, अर्थात,-

"(iii) अल्कोहल मुक्त बियर – अल्कोहल आयतन द्वारा 0.0 (अन्य मापदंडों के लिए, अल्कोहल मुक्त बीयर नियमित बीयर के लिए निर्दिष्ट सीमाओं का पालन करेगी)। "

(ख) विनियम 4.2 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम को रखा जायेगा, अर्थात,-

" 4.2 (1) क्राफ्ट बीयर एक माइक्रो-ब्रूअरी / पब-ब्रूअरी में बनाया गया है, और उपयुक्त खाद्य सामग्री के साथ सुगंधित किया जा सकता है। यह फ़िल्टर्ड और पास्चुरीकृत हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और इसे पीप, कीग, बोतल या कैन में बेचा जा सकता है ";

(5) भाग-5 के,-

(क) विनियम 5.1 में निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाए, अर्थात्,-

''5.1.1 पॉट आसुत एल्कोहल के पैकेज पर ''पॉट-डेग/पॉट-डेग आसुत/पॉट-आसुत'' सामग्री का लेबल लगाया जाएगा।''

(ख) विनियम 5.3 की जगह निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

''5.3 लेबल पर भौगोलिक संसूचक (जीआई) अथवा नामों का प्रयोग केवल भौगोलिक क्षेत्र विशेष में बनने वाले उत्पादों के लिए किया जा सकता है।

ऐसे उत्पादों को वस्तुओं के भौगोलिक संसूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराना होगा और वे मूल देश के ऐसे जीआई उत्पादों के लिए उस देश विशेष के विनियमों का पालन करेंगे।

आगे, ऐसे उत्पाद इन विनियमों और अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अन्य विनियमों में विहित भारी धातुओं की सीमाओं तथा सूक्ष्मजैविक अपेक्षाओं के अनुरूप हों।इन नियमों और अधिनियम के अधीन अधिसूचित अन्य नियमों के अधीन दी गई लेबलिंग आवश्यकताएं भी लागू होंगी।''

(ग) विनियम 5.9 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्,-

"वाइन की लेबलिंग

i) वाइन की उत्पत्ति (देश या राज्य) को इंगित करें और शर्कराकी सीमा घोषित करें।

ii) अंगूर या फल के विविधता का सामान्य नाम प्रयुक्त कच्ची सामग्री की मात्रा के अवरोही क्रम में, भौगोलिक उत्पत्ति और पुराने वर्ष की घोषणा करें, यदि ऐसे दावे किए जाते हैं।

iii) अंतिम उत्पाद में मौजूद परिरक्षकों या योजक के अवशेषों के नाम या उनके संशोधित रूपों में घोषणा करें।

iv) यदि उस स्थान से 75 प्रतिशत अंगूर आते हैं, तो उस स्थान या क्षेत्र, उप-क्षेत्र या अभिधानके नाम की घोषणा करें।

v) एक अंगूर की विविधता का नाम घोषित करे, वाइन उस अंगूर की विविधता से कम से कम 75 प्रतिशत से बना है।

vi) विंटेज की एक तारीख घोषित हो, अगर शराब का कम से कम 85 प्रतिशत उस विंटेज से आता है।''

(घ) विनियम 5.12 में "वैधानिक चेतावनी का आकार 3 मिमी से कम नहीं होगा।" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

"200 मि.ली. तक के पैक साइज के लिए वैधानिक चेतावनी का साइज 1.5 मि.मी से कम न हो और 200 मि.ली. से अधिक के पैक साइज के लिए चेतावनी का साइज 3 मि.मी. से कम न हो।"

(6) सारणी-1 के,-

(i) क्रम संख्या 5 के स्तम्भ (2) में "आसुत पूर्ण शराब के ग्रा./100 ली. के रूप में व्यक्त किया गया'' शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

''परिशुद्ध एल्कोहल के ग्रा/100 लि. के रूप में व्यक्त''

(ii) टिप्पण में स्वादिष्ट रम, स्वादिष्ट वोदका और कम एल्कोहल वाले पेयों के लिए अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत (एम/वी) है शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्लिखित को रखा जायेगा, अर्थात,-

" स्वादिष्ट/प्रीमिक्स रम, वोदका, व्हिस्की, जिन और कम एल्कोहल वाले पेयों के लिए अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत (एम/वी) है।"

(7) सारणी-2 के,-

(i) स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) के शीर्षक में "टेबल या अंगूर वाईन'' शब्दों की जगह निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"टेबल वाइन''

(ii) मौजूदा प्रविष्टि ""-" अभिप्राय लागू नहीं;" के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

"वाइन आधारित पेय उनके एथिल अल्कोहल सामग्री के लिए टेबल वाइन के मानकों का पालन करेगा।"

(8) सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को रखा जायेगा, अर्थात्,-

"सारणी-3

[उप-विनियम 4.1 देखें]

क्र. सं.	विशेषताएं	बीयर		ड्राट बीयर		क्राफ्ट बीयर
		रेग्यूलर	स्ट्रॉंग	रेग्यूलर	स्ट्रॉंग	रेग्यूलर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	इथाइल एल्कोहल मात्रा, आयतन से 20 डिग्री से. प्रतिशत	0.5 से अधिक और 5.0 तक	5.0 से अधिक और 8.0 तक	0.5 से अधिक और 5.0 तक	5.0 से अधिक और 8.0 तक	5.0 तक
2.	pH	3.3-4.8	3.3-4.8	3.3-4.8	3.3-4.8	3.3-4.8
3.	कार्बन	1.8-3.6	1.8-3.6	1.8-3.6	1.8-3.6	1.8-3.6

	डाईआक्साइड v/v, *न्यूनतम*					
4.	मिथाइल एल्कोहल मि.ग्रा./लि, *अधिकतम*	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
5.	कॉपर (मि.ग्रा./लि), *अधिकतम*	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.	आयरन (Fe की तरह) मि.ग्रा./लि, *अधिकतम*	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.	लेड (मि.ग्रा./लि), *अधिकतम*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
8.	आर्सेनिक (मि.ग्रा./लि), *अधिकतम*	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
9.	कैडमियम (मि.ग्रा./लि), *अधिकतम*	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10.	टोटल प्लेट काउंट, सीएफयू प्रति मि.लि	<10	<10	<100	<100	<100
11.	कोलीफार्म काउंट, सीएफयू प्रति मि.लि	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
12.	वाइल्डखमीर और मोल्ड, सीएफयू प्रति मि.लि,अधिकतम	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
13.	ब्रयूएर खमीर, ** सीएफयू प्रति मि.लि,अधिकतम	अनुपस्थित	अनुपस्थित	*	*	*

“*"सीमा निर्धारित नहीं है।

“"माध्यमिक किण्वित बियर पर लागू नहीं होताहै, जिसे लेबल पर माध्यमिक किण्वित बियर के रूप में घोषित किया जाएगा।”;**

(9) सारणी-3 के बाद निम्नलिखित सारणी जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

"सारणी-4

[*उप-विनियम 1.3.9 देखें*]

वाइन और बीअर के अलावा अल्प एल्कोहल बीवरेजों की अपेक्षाएँ

क्रम सं0 (1)	विशेषताएं (2)	अपेक्षाएँ (3)
1.	इथाइल एल्कोहल अंश, 20°C पर, आयतनानुसार प्रति शत	0.5 से 8.0
2.	वाष्पन पर अवशिष्ट, प्रति शत (ग्रा/लिटर), अधिकतम	25.0
3.	कुल अम्ल, टारटैरिक एसिड के रूप में, प्रति शत (आयतनानुसार द्रव्यमान), अधिकतम	1.0
4.	मिथाइल एल्कोहल (परिशुद्ध एल्कोहल के ग्रा/100 ली. के रूप में व्यक्त), अधिकतम	25.0
5.	शर्करा, प्रति शत (आयतनानुसार भार), अधिकतम	20.0
6.	pH	2.0 से 5.0
7.	कॉपर (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	1.0
8.	लौह (Fe के रूप में), मि.ग्रा/लि., अधिकतम	5.0
9.	सीसा (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	0.2
10.	आर्सेनिक (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	0.25
11.	कैडमियम (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	0.1"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./414/2020-21]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं0 2/एस.ए-24/2009(1)/एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

F. No. Stds/SP(water and Beverages)/Notification(1)/FSSAI-2019.—Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2019, was published vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. Stds/SP(water and Beverages)/Notification(1)/FSSAI-2019, dated the 5th July, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said official Gazette were made available to the public on the 15thJuly, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) First Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2021.

2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, -

(1). In part-1,

(i) in regulation 1.2.3, after the words "be of agricultural origin" , the following proviso shall be inserted, namely,-

"provided that this limit shall be zero in case of Alcohol free beer.";

(ii) in regulation 1.3, -

(a) for sub-regulation 1.3.2, the following shall be substituted, namely, -

"1.3.2 The tolerance limit for ethyl alcohol content for up to 20% abv shall be ± 0.3 per cent (-0.5 per cent for up to 90 ml per bottle) and for more than 20% abv it shall be ±1.0 per cent (-1.5 per cent for up to 90 ml per bottle) of the declared strength. In case of wine the tolerance limit shall be ±0.5.";

(b) for sub-regulation 1.3.9, for the words and figures "Alcoholic beverage containing not more than 8.0per cent. abv may be called as low alcoholic beverage, and shall conform to the requirements of table 1 except for residue on evaporation." The following shall be substituted, namely, -

"Alcoholic beverage containing more than 0.5 per cent abv but not more than 8.0 per cent. abv may be called as low alcoholic beverage. Low Alcoholic beverages, other than wine and beer shall conform to the requirements of Table-4.";

(2) in Part-2,-

(i) in regulation 2.1,-

(a) in 2.1.1, in para '1' , after the words "formed during fermentation",the following shall be inserted, namely, -

"and aging";

(b) in 2.1.1, in para '2' after the words "the word 'Brandy' ", the following shall be inserted, namely, -

"(example Apple Brandy, Plum Brandy)";

(c) after sub-regulation 2.1.2, the following shall be inserted, namely, -

"2.1.3 Indian Brandy: Indian brandy shall be made either from neutral spirit or rectified spirit or a mixture of both. On the label, the name 'Indian Brandy' shall be followed by a statement within brackets as 'made from molasses spirit/grain spirit/neutral spirit' with a font size that is easily readable. The font size of the words 'Indian' and 'Brandy' shall be same.";

(ii) in regulation 2.8, in sub-regulation 2.8.1, for clause (i) the following shall be substituted, namely, -

"(i) Single malt or Single grain whisky: Single malt or Single grain whisky is a distillate obtained from fermented mash that uses one particular malted barley or malted grain, respectively, distilled in pot still only, and produced in a single distillery.";

(3) in Part-3,

(i) in regulation 3.1,

(a) in sub-regulation 3.1.1, for the words "Table or grape wine may be of the following types", the following shall be substituted, namely, -

"Table wine may be of following types.";

(b) in sub-regulation 3.1.1, in clause 3.1.1.2, for item (i), the following shall be substituted, namely, -

"(i) Dry wine: Dry wine is a wine that contains upto 0.9 per cent. sugar.";

(c) in sub-regulation 3.1.2, for clause 3.1.2.2, the following shall be substituted, namely, -

"3.1.2.2 Sparkling : Sparkling wine has a carbon dioxide content of minimum 7.0 g/l or 3.5 bar pressure at 20°C resulting solely from either the primary or the secondary fermentation of the wine within a closed container, tank or bottle. Based on the sugar content the sparkling wines maybe of the following types:

i) Brut : It has sugar content below 1.2 per cent.

ii) Extra-Dry : It contains more than 1.2 up to 1.7 per cent. sugar with a tolerance of 0.3 per cent.

iii) Dry : It contains more than 1.7 up to 3.2 per cent. sugar with a tolerance of 0.3 per cent.

iv) Semi-Dry : It is a wine which contains more than 3.2 up to 5.0 per cent. sugar.

v) Sweet : It contains more than 5.0 per cent. sugar.";

(d) for sub-regulation 3.1.3, the following shall be substituted, namely, -

"**3.1.3 Fortified wine:** Fortified wine is a wine with high alcohol content achieved by the addition of alcohol (brandy or wine spirits or neutral spirit of agricultural origin) provided a minimum 7 .0 per cent comes from fermentation of grapes, grape must and fruits and used as aperitif or dessert wine. Fortified wine may be red or white, dry or sweet.

Fortified wines are of following types:

3.1.3.1 Sherry: is commonly a white wine fermented to dryness followed by the addition of alcohol (brandy or wine spirits) to stabilize during maturation in contact with air.

3.1.3.2 Aromatized wine is a beverage obtained from at least 75% by volume of wine, which has undergone an aromatisation process; to which ethyl alcohol of viticultural origin and/or a wine distillate and/or alcohol of agricultural origin could have been added; which could have undergone a sweetening and/or colouring and/or undergone one or more of other specific oenological practices applicable to this beverage; with an actual alcoholic strength by volume varying between 14.5% minimum and 22%.";

(e) in sub-regulation 3.1.4, after the words "wine produced from fruit other than grapes", the following shall be inserted, namely, -

"(should be prefixed with the name of the fruit. Example wine such as plum wine, apricot wine, pear wine)";

(f) in sub-regulation 3.1.4, item 3.1.4.3 shall be omitted.

(g) in sub-regulation 3.1.5, for clause 3.1.5.1 the following shall be substituted, namely, -

"3.1.5.1 Palm wine/Toddy: Palm wine/Toddy is a wine prepared from sap of palm trees and coconut palms."

(h) after the sub-regulation 3.1.5, the following shall be inserted, namely, -

"3.1.6 Wine Based Beverages: Wine-based beverage is a beverage obtained from at least 50 by volume of wine, which could have undergone the treatments such as sweetening, colouring, addition of aromatising substances or preparations, addition of food-related products, including water, for which the actual alcoholic strength by volume is equal to or above 3.5 vol. and below 14.5 vol., and for which the alcoholic component derives exclusively from the wine or special wine used, except for doses used only to dilute aromatic substances, or colorants, or any other approved substance.";

(ii) in regulation 3.2, for clause (iii), the following shall be substituted, namely, -

"(iii) Water added in preparation of wine shall not be more than 70 ml per kg of grape or fruit:

(a) necessary to incorporate any permitted additive and processing aid

(b) necessary to facilitate fermentation; or

(c) incidental to the winemaking process.

Provided that water may be added to wine to facilitate fermentation if the water is added to dilute the high sugar grape must prior to fermentation and does not dilute the must below 13.5 degree brix.";

(4). in Part-4,-

(a) in regulation 4.1 related to "Beer", in para '2', after the clause (ii) the following shall be inserted, namely, -

"(iii) Alcohol free beer- Abv 0.0 (for other parameters, alcohol free beer shall comply with the limits specified for regular beer).";

(b) after the regulation 4.2, the following regulation shall be inserted, namely, -

"4.2 (1) Craft beer is made in a micro-brewery/ pub-brewery, and may be aromatized with suitable food ingredients. It may or may not be filtered and pasteurized, and may be sold in casks, kegs, bottles, or cans";

(5) in Part-5,-

(a) in regulation 5.1, the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

"5.1.1 The Pot distilled alcohol shall be labelled as 'Pot- Still/Pot -Still Distilled/Pot- Distilled' on the package.";

(b) for the regulation 5.3, the following regulation shall be substituted, namely, -

"5.3 Geographical indicators (GI) or names may be used on the label solely for the products originating from that geographical region.

Such products shall be registered under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 and meet the country specific regulations for such GI products of the country of origin.

Further, such products shall conform to the limits of heavy metals and microbiological requirements as specified under these regulations and other regulations notified under the Act. Labelling requirements as given under these regulations and other regulations notified under the Act shall also apply.";

(c) for regulation 5.9, the following shall be substituted, namely, -

"Labelling of Wine

5.9.1 in addition to requirements mentioned in sub-regulations 5.1 to 5.6, the label on wine shall also:

i) Indicate the origin (country or state) of wine and declare the range of sugar.

ii) Declare the generic name of variety of grape or fruit used in descending order of quantity or raw material used, geographic origin, and vintage year, provided such claims are made.

iii) Declare the name of residues of preservatives or additives present as such, or in their modified forms, in the final product.

iv) Declare the name of the place, or region, sub-region or appellation, if 75 per cent the grapes come from that place.

v) Carry the name of a grape variety, the wine is made from at least 75 per cent from that grape variety.

vi) Carry a date of vintage, if at least 85 per cent of the wine comes from that vintage.";

(d) in regulation 5.12, for the words and figures "Size of statutory warning shall not be less than 3 mm." the following shall be substituted, namely, -

"Size of statutory warning shall not be less than 1.5 mm for pack size of upto200ml and for pack size above 200 ml, size of the warning shall not be less than 3 mm.";

(6) in TABLE-1,-

(i) in serial no. 5, in column (2), for the words and figures "expressed as g/100 l of distilled absolute alcohol", the following shall be substituted, namely, -

"expressed as g/100 l of absolute alcohol"

(ii) in the note for the words, figure and parenthesis "For flavoured Rum, flavoured Vodka and for low alcoholic beverages the maximum limit shall be 25 per cent (m/v).", the following shall be substituted, namely, -

"For flavoured/premix rum, vodka, whisky, gin and for low alcoholic beverages the maximum limit of residue on evaporation shall be 25 per cent (m/v).";

(7) in TABLE-2,-

(i) in the column (3) and (4), in the heading, for the words "Table or Grape Wine", the following shall be substituted, namely, -

"Table Wine"

(ii) after the existing entry " "-" means Not Applicable;" the following entry shall be inserted, namely, -

"Wine based beverages shall comply with the standards of table wine in accordance with their ethyl alcohol content.";

(8) For TABLE-3, the following shall be substituted, namely, -

"TABLE-3

[*See* sub-regulation 4.1]

Sl. No.	Characteristics	Beer		Draught Beer		Craft beer
		Regular	Strong	Regular	Strong	Regular
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ethyl alcohol content at 20° C, per cent by volume	More than 0.5 up to 5.0	More than 5.0 up to 8.0	More than 0.5 up to 5.0	More than 5.0 up to 8.0	Up to 5.0
2.	pH	3.3-4.8	3.3-4.8	3.3 - 4.8	3.3 - 4.8	3.3-4.8
3.	Carbon dioxide, v/v, *Min*	1.8-3.6	1.8-3.6	1.8-3.6	1.8-3.6	1.8-3.6
4.	Methyl alcohol mg/l, *Max*	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
5.	Copper (mg/l), *Max*	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.	Iron (as Fe) mg/l, *Max*	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.	Lead (mg/l), *Max*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
8.	Arsenic (mg/l), *Max*	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
9.	Cadmium (mg/l), *Max*	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10.	Total plate count, cfu per ml	<10	<10	<100	<100	<100
11.	Coliform count, cfu per ml	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent
12.	Wild Yeast and moulds, cfu per ml, max	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent
13.	Brewer's yeast, ** cfu per ml,max	Absent	Absent	*	*	*

"*"means limit not prescribed.

"**" does not apply to secondary fermented beer, which shall be declared on the label as secondary fermented beer.";

(9) after TABLE-3, the following Table shall be inserted, namely, -

"TABLE-4

[*See* sub-regulation 1.3.9]

Requirements for Low Alcoholic Beverages other than wine and beer

S.No. (1)	Characteristics (2)	Requirements (3)
1.	Ethyl alcohol content at 20 degree C, per cent by volume	>0.5 to 8.0
2.	Residue on evaporation, per cent. (m/v), Max.	25.0
3.	Total acids as tartaric acid, per cent. (m/v), Max.	1.0
4.	Methyl alcohol(expressed in terms of g/100 l of absolute alcohol), Max.	25.0
5.	Sugar, per cent. (w/v), Max.	20.0
6.	pH	2.0 to 5.0
7.	Copper (mg/l), Max.	1.0
8.	Iron (as Fe) mg/l, Max.	5.0
9.	Lead (mg/l), Max.	0.2
10.	Arsenic (mg/l), Max.	0.25
11.	Cadmium (mg/l), Max.	0.1 "

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./414/2020-21]

Note : The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.19 16:55:28 +05'30'